



कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायपुर (छ.ग.)

जिला न्यायालय परिसर, रायपुर

दूरभाष क्रमांक 0771-2425944

फैक्स दूरभाष क्रमांक 0771-2420077

E-mail : dlsa.raipur@gmail.com



//आदेश//

क्रं. 23 / LADCS / 2023

रायपुर दिनांक 10 मई / 05 / 2024


इस कार्यालय के अंतर्गत लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम कार्यालय हेतु स्टाफ के रिक्त कार्यालय के सहायक/क्लर्क, रिसेप्शनिस्ट-सह-डाटा एण्ट्री ऑपरेटर (टाईपिस्ट) एवं कार्यालय भृत्य (मुंशी /अटेन्डेंट) के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु जारी विज्ञापन क्रमांक 338/परीक्षा सेल रायपुर दिनांक 06-10-2023 के परिपेक्ष्य में भर्ती समिति रायपुर की अनुशंसा एवं माननीय छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के पत्र क्रमांक 1328/LADCS-23/2024 बिलासपुर दिनांक 03-05-2024 के अनुसार किये गये अनुमोदन के आधार पर चयनित निम्नांकित उम्मीदवारों को उनके नाम के समक्ष उल्लेखित पद एवं एकमुश्त मासिक संविदा मानदेय (स्टिपेंडशिप) में उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से दिनांक 30-04-2025 तक के लिए निर्धारित शर्तों के अधीन नियुक्त किया जाता है :-

क्रं.	चयनित उम्मीदवार का नाम पिता का नाम एवं पता।	पद का नाम	एकमुश्त मासिक संविदा मानदेय (स्टिपेंडशिप) की राशि
01	श्री अभिषेक सिंह ठाकुर, पिता श्री नरेन्द्र सिंह ठाकुर पता- नेहरू नगर मुंगेली नाका चौक पुराना आर0टी0ओ0 आफिस गली डॉ0 खेत्रपाल गली बिलासपुर (छ0ग0) पिन नं.-495001 मो0नं0- 8770510700	office Assistants / Clerks (कार्यालय सहायक/क्लर्क)	20,000/-प्रति माह
02	श्री योगेन्द्र देवांगन पिता श्री केशव प्रसाद देवांगन पता- गोविन्द किराना स्टोर्स के पास अश्वनी नगर रायपुर (छ0ग0) मो0नं0-93992-88946	Receptionist-cum-Data Entr Operator (Typist) (रिसेप्सनिस्ट-सह-डाटा एण्ट्री ऑपरेटर)	17,000/-प्रति माह
03	श्री नीरज कुमार साहू पिता श्री विष्णु देव साहू पता-महावीर चौक, लालपुर रायपुर जिला रायपुर।	office-Peo (Munshi/Attendant) कार्यालयभृत्य(मुंशी/अटेन्डेंट)	12,000/-प्रति माह

नियुक्ति की शर्त:-

- उपरोक्त चयनित उम्मीदवार को आदेश प्राप्ति से अधिकतम 15 दिवस के भीतर अपने पद का कार्यभार ग्रहण करना आवश्यक होगा अन्यथा उनकी नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- चयनित उम्मीदवार कार्यभार ग्रहण करते समय मूल शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज जो आवेदन के साथ संलग्न है, कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा। शैक्षणिक अथवा अन्य दस्तावेज किसी भी स्तर पर असत्य अथवा अमान्य पाये जाने पर नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी जायेगी।

- 03- चरित्र सत्यापन में अथवा किसी अन्य माध्यम से यह प्रगट होता है कि पदधारी की किसी प्रकार के अपराध में संलिप्तता है तो उक्त उम्मीदवार का नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जावेगा ।
- 04- लीगल एड डिफेंस कौंसिल कार्यालय हेतु कार्यालय सहायक, रिसेप्शनिस्ट कम डाटा एन्ट्री आपरेटर, कार्यालय भृत्य / मुंशी की नियुक्ति पूर्णतया संविदात्मक नियुक्ति है, जिनका कार्यकाल नालसा के दिशा-निर्देशों के अनुसार ही निर्धारित किया जावेगा। वर्तमान में एक वर्ष के लिये दिनांक 01.05.2024 से दिनांक 30.04.2025 तक की अवधि के लिये नियुक्त किया गया है।
- 05- लीगल एड डिफेंस कौंसिल कार्यालय हेतु नियुक्त स्टॉफ के द्वारा नालसा के पत्र क्रमांक एल /20/2019-नालसा दिनांक 24 अगस्त 2022 के साथ संलग्न दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा, तथा उसी अनुसार नियुक्त स्टॉफ की सेवा भी समाप्त की जा सकेगी। साथ ही नालसा का पत्र क्रमांक F.N./20/2019- NALSA दिनांक 11-02-2023 एवं पत्र क्रमांक F.N./20/2019- NALSA दिनांक 14-02-2023 एवं लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम संशोधित स्कीम 2022 के प्रावधानों के अधीन निर्धारित किये गये कार्यों को, नियुक्त किये गये स्टाफ कार्य सम्पादित करेंगे। यदि कार्य, व्यवहार तथा आचरण संतोषजनक नहीं होने पर अथवा कर्तव्य पर बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहते हैं, तथा आपराधिक/राजनीतिक गतिविधियों में संलिप्तता पाये जाने पर भी ऐसे स्टॉफ की सेवायें बिना किसी सूचना के समाप्त कर दी जावेगी।
- 06- लीगल एड डिफेन्स कौंसिल सिस्टम संशोधित स्कीम 2022 में प्रावधानित अनुसार लीगल एड डिफेंस कौंसिल कार्यालय के हेतु निर्धारित आचार संहिता का पालन अनिवार्यतः करेंगे।
- 07- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक F.No-L-27/2022- NALSA (Part File) /4678-4714 Dated 27th March ,2024 के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। जिसके अनुसार लीगल एड डिफेंस कौंसिल कार्यालय हेतु नियुक्त स्टाफ के संविदात्मक अनुबंध की शर्तों का पालन सुनिश्चित करने हेतु कोई भी स्टाफ उक्त पदों पर सरकारी वेतन, भत्ते या अनुलाभों को नियमित किये जाने अथवा नियमित वेतनमान प्राप्त करने हेतु किसी भी प्रकार का दावा नहीं करेगा । उपरोक्त संविदा नियुक्ति में प्राप्त एकमुश्त भुगतान मानदेय (स्टेनरशिप) के रूप में है, वेतनभोगी के रूप में नहीं है।
- 08- संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को संविदा सेवा की अवधि के लिये किसी भी प्रकार की पेंशन, उपादान या मृत्युलाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।
- 09- यह नियुक्ति आदेश चयनित अभ्यर्थियों के उपलब्ध निवास पते पर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से प्रेषित की जा रही है साथ ही जिला न्यायालय रायपुर छ0ग0 के वेबसाईट Raipur.courts.gov.in पर भी अपलोड की जा रही है , चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति आदेश की प्रति वेबसाईट से डाउनलोड करके भी अपना कार्यभार ग्रहण कर सकते हैं।



अध्यक्ष / जिला न्यायाधीश
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
रायपुर जिला-रायपुर

क्रं. 292 / LADCS / 2023

रायपुर दिनांक 10 मई / 05 / 2024

प्रतिलिपि :-

- 1- श्रीमान सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर ।
- 2- अध्यक्ष भर्ती चयन समिति / चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर ।
- 3- सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर ।
- 4- प्रभारी अधिकारी, कम्प्युटर अनुभाग जिला न्यायालय रायपुर को जिला न्यायालय रायपुर के वेबसाईड में अपलोड करने हेतु ।
- 5- श्री अभिषेक सिंह ठाकुर, पिता श्री नरेन्द्र सिंह ठाकुर, पता- नेहरू नगर मुंगेली नाका चौक पुराना आर0टी0ओ0 आफिस गली डाँ0 खेत्रपाल गली ,बिलासपुर (छ0ग0) पिन नं.-495001 मो0नं0- 8770510700
- 6- श्री योगेन्द्र देवांगन पिता श्री केशव प्रसाद देवांगन पता- गोविन्द किराना स्टोर्स के पास अश्वनी नगर रायपुर (छ0ग0) मो0नं0-93992-88946
- 7- श्री नीरज कुमार साहू पिता श्री विष्णु देव साहू पता-महावीर चौक, लालपुर रायपुर जिला रायपुर । को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

अध्यक्ष / जिला न्यायाधीश
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
रायपुर जिला-रायपुर